(216)

संख्या– /xxiv(7)28(2)/2010

प्रेषक,

डा0 निधि पाण्डेय,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी,नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–7 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 21 मार्च, 2012

विषयः– वित्तीय वर्ष 2011–2012 में राजकीय महाविद्यालय लम्बगॉव में बी0एड0 संकाय भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या डिग्री विकास /13762/2011–12 दिनाकं 16.12.2011 के संदर्भ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय महाविद्यालय लम्बगॉव में बी0एड0 संकाय भवन निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में द्वितीय चरण हेतु गठित प्राक्कलन के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त विभाग के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी ₹ 241.44 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि के सापेक्ष ₹ 45.45 लाख की (₹ पैंतालिस लाख पैंतालिस हजार मात्र) धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा करने के उपरान्त सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त की जायेगी।

3– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण लो0नि0वि0 के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

5– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

6– कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरुप ही कार्य कराया जाय।

7– मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047 /xiv–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई से पालन किया जाय।

.................2/

8– यदि विभिन्न मदों हेतु स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित की जाय।

9– कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। शासनादेश संख्या 475/xxvii(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 में निर्धारित प्रारुप पर कार्यदायी संस्था के साथ समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) हस्ताक्षरित करवाते हुये एक प्रति शासन को भी उपलब्ध करायी जाय।

10– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 571/xxvii(1)/2010 दिनांक 19–10–2010 में निदृष्ट दिशा निर्देशों के अनुरुप कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये कार्य की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) स्वीकृति हेतु शासन को उपलब्ध करायी जाय।

11– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक की अनुदान सं0 11 के आयोजनागत पक्ष के अधीन लेखा शीर्षक –4202–शिक्षा खेल कूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा –203–विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा–आयोजनागत–00–13 सोसाइटी मोड में स्ववित्त पोषित बीएड कक्षाओं का संचालन–24–वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

12– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 452 (p)/xxvii (3)/2011–12 दिनांक 29 मार्च, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीया,

(डा0 निधि पाण्डेय)
अपर सचिव

सं0 2252 (1)/xxiv(7)28(2)/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2– आयुक्त कुमाऊँ मण्डल पौडी।
3– जिलाधिकारी, टिहरी।
4– कोषाधिकारी हल्द्वानी।
6– वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय।
7– निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
8– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय देहरादून।
9– वित्त अनु0–3/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
10–कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल निगम नई टिहरी।
11–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वेदीराम)
अनु सचिव